कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़(छ0ग0)

—: आदेश :—

क्रमांक / 3809 / कोरोना सेल / 2021 रायगढ, दिनांक 19 / 04 / 2021

इस कार्यालय के आदेश क्र. / 3756 / कोरोना सेल / 2021 रायगढ़ दिनांक 17.04.2021 द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 14.04.2021 प्रातः 06:00 बजे से 27.04.2021 रात्रि 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश की कण्डिका—01 में वाक्यांश "उपरोक्त अवधि के दौरान जिले के समस्त बैंक कार्यालयीन समय में केवल कार्यालयीन स्टाफ हेतु ए.टी.एम. में नकदी भरने के लिए खोले जा सकेंगे। आम आदमी के लिए प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा" **को विलोपित करते हुए निम्नानुसार नवीन कंडिका 01—ए अंतःस्थापित की जाती है :—**

01—ए. उपरोक्त अवधि में दौरान को—मॉर्बिड / गर्भवती अधिकारियों / कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब—बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक / शाखाएँ प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी।

उपरोक्त अवधि के दौरान ए.टी.एम. में नकदी भरने के अतिरिक्त मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, डीजल / पेट्रोल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस. / केरोसिन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन—देन, उद्योगों के व्यापारिक लेने—देन / श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति / लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेने—देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन—देन की अनुमति नही होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत् आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़(छ0ग0)

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक / 3809–ए / कोरोना सेल / 2021 रायगढ़, दिनांक 19 / 04 / 2021

प्रतिलिपि :–

1– सचिव, छ0ग0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।

2– सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।

3– सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर।

4– सचिव, छ0ग0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर ।

5– संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, रायपुर

6– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर।

––––– की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

7– क्षेत्रीय प्रबंधक, आई.ओ.सी.एल. / एच.पी.सी.एल. / बी.पी.सी.एल. रायपुर की ओर सूचनार्थ।

8– पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

10– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

11– खाद्य अधिकारी / सहायक खाद्य अधिकारी / खाद्य निरीक्षक जिला रायगढ़

12– लीड बैंक मैनेजर रायगढ़

13– जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायगढ़

14– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जिला रायगढ़

15– विक्रय अधिकारी, आई.ओ.सी.एल. / एच.पी.सी.एल. / बी.पी.सी.एल. / एल.पी.जी. जिला रायगढ़

––––– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16– उप संचालक, जनसम्पर्क रायगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

17– कार्यालय प्रति।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़(छ0ग0)

Scanned with CamScanner